प्रेस नोट दिनांक-10.10.2020

(1). ऑपरेशन क्लीन के क्रम में 08 वर्षों से फरार, 05 मुकदमों में वांछित, 40000/- रुपये का इनामी अपराधी मामा उर्फ राजबहादुर अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में इनामी, गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर,टॉप-10, मफरूर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे आपरेशन क्लीन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री जयशंकर सिंह के नेतृत्व में कोतवाली कर्वी, थाना मारकुंडी एवं बहिलपुरवा की संयुक्त टीमों द्वारा टीमों द्वारा 8 वर्षो से फरार गैंगस्टर, व 05 मुकदमों में वांछित व मफरूर घोषित, 40000/- रुपये का इनामी अपराधी मामा उर्फ राजबहादुर पुत्र महिपाल तिवारी निवासी हटवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को एक तमंचा 12 बोर व 02 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनाँक 09.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री जयशंकर सिंह के नेतृत्व में कोतवाली कर्वी, थाना मारकुंडी एवं बहिलपुरवा की संयुक्त टीमों द्वारा टीमों द्वारा बधौंड़ा मोड के पास से 8 वर्षो से फरार गैंगस्टर, व 05 मुकदमों में वांछित व मफरूर घोषित, 40000/- रुपये का इनामी अपराधी मामा उर्फ राजबहादुर पुत्र महिपाल तिवारी निवासी हटवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को एक तमंचा 12 बोर व 02 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । यह अभियुक्त वर्ष 2012 से लगातार फरार चल रहा था, इसके विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 09/12 धारा 457/380/411 भादवि0, मु0अ0सं0 41/12 धारा 457/380/411 भादवि0, 52/12 धारा 457/380/411 भादवि0, मु0अ0सं0 56/12 147/148/149/307 भादवि, 12/14 डीएए एक्ट तथा मु0अ0सं0 97/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त सभी अपराधों में यह अभियुक्त लगातार पिछले 8 वर्षों से फरार चल रहा था तथा वर्ष 2013 में माननीय न्यायालय द्वारा मफरूर घोषित किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 525/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परीक्षेत्र बांदा की ओर से ₹40000 का इनाम घोषित था। यह अभियुक्त छिपकर सूरत में रहता था तथा पुलिस की नजर से बच कर कभी-कभी आता जाता था।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 09/12 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना मऊ
2.मु0अ0सं0 41/12 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना मऊ
3. मु0अ0सं0 52/12 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना मऊ
4. मु0अ0सं0 56/12 147/148/149/307 भादवि 12/14 डीएए एक्ट थाना मऊ
5. मु0अ0सं0 97/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मऊ
6. मु0अ0सं0 525/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्वी

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री जयशंकर सिंह
2. उ0नि0 श्री शेषमणि त्रिपाठी थाना मारकुण्डी
3. उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी थाना कोतवाली कर्वी

4. आरक्षी संजय यादव थाना बहिलपुरवा
5. आरक्षी रामकेश यादव थाना बहिलपुरवा

(2). आज दिनाँक 10.10.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री प्रकाश स्वरुप पाण्डेय द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना भरतकूप में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय उपाध्याय की उपस्थिति में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 09.10.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मऊ में 07 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी सरैंया तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम गढ़चपा से अभियुक्त राजकुमार पुत्र सुख्खा कोल निवासी पौखरी थाना मानिकपुर तथा अभियुक्त रामकिल्ली पुत्र जमुना निवासी धौहाई इटवां थाना रैपुरा चित्रकूट को 10-10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किये गये।

बरामदगीः-

20 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी सरैंया
2. आरक्षी रोहित सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृत/गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह तथा उनकी टीम द्वारा गुमशुदा बालक मनीष कुमार उम्र लगभग 15 वर्ष पुत्र जमुना प्रसाद निवासी भरकोरी थाना पहाड़ी को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

उल्लेखनीय हैं कि दिनाँक-06.10.2020 को दिनेश कुमार निवासी भरकोरी थाना पहाड़ी द्वारा सूचना दी गयी कि उसका भतीजा मनीष कुमार उम्र लगभग 15 वर्ष घर से कांडी खेरा गया लेकिन रास्ते में ताम्बानी से कही गायब हो गया अभी तक घर नही आया है । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में

मु0अ0सं0 141/2020 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी द्वारा उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। पुलिस टीम द्वारा बालक की बरामदगी हेतु लगातार प्रयासरत थी जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए आज दिनाँक 10.10.2020 को मनीष कुमार को कस्बा बबेरू जनपद बांदा से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामदगी/सुपुर्दगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह